

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3) 2( )/स्था/आईसीडीएस/184879-911

जयपुर,दिनांक:

समस्त उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
.....।

16-10-18

विषय:- वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजनाओं में कार्यरत वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं,के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जाने है।

अतः वर्ष 2019 में (31.01.2019 से 31.12.2019 तक) सेवानिवृत्त होने वाले वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम व सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति अविलम्ब सात दिवस में निदेशालय भिजवायें,ताकि समय रहते हुए इनकी सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा सकते हैं। सूचना नहीं भिजवाये जाने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)2( )/स्था/आईसीडीएस/184912-5216

जयपुर,दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

16-10-18

- ✓ 1.एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।  
2.समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।